FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (कुरबड़ा)
(डॉ. रामगोपाल के मकान से रामस्वरूप के नये मकान तक)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 मु0नं0 571 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7-2025	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/4102 दिनांक 16.07.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम कुरबड़ा पटवार मण्डल **आगवाड़ी** तहसील नीमकाथाना स्थित **भूमि खसरा नम्बर 167/5 रकबा 0.31 हैक्ट. किस्म चाही–III मे से 0.0220 हैक्ट. खसरा नम्बर 171 रकबा 0.62 हैक्ट किस्म चाही–III मे से 0.03 हैक्ट. तथा खसरा नम्बर 169 रकबा 0.75 हैक्ट. किस्म बारानी उत्तम मे से 0.05 हैक्ट कुल 05 मीटर चौडा तथा 230 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता डॉ. रामगोपाल के मकान से रामस्वरूप के नये मकान तक** का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत कुरबड़ा का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के संलग्न जमाबन्दी, भू–नक्शा, गुगल नक्शा, एवं खातेदारान का सहमति पत्र संलग्न है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोग ... रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करने ... है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने ... प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहित के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। **तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।** तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:05 IST
Reason: SelfAttested